

मंजूर
००२/०१

(18)

निलाम पत्र पदाधिकारी का - सरायकेला

(345)

पंजाब बीकनगर बैंक
अद्वितीयता, अद्वितीयता

आदेश पत्रक

श्री कृष्ण कुमार पान्डे

आदेश पत्र की तारीख - से -

जिला-पंजाबी सिविल / संख्या-2(PN8) / 2001-2002

जिस का प्रकार बैंक वसूला निलाम पत्र

आदेश का क्र. सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की हुई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ।
	<u>[Signature]</u>	

18.10.2001

आज्ञा प्रबन्धक पंजाब बीकनगर बैंक
अद्वितीयता अद्वितीयता
के अध्यायना को देखा। उन्होंने लोक मांग
अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत

कृष्ण कुमार पान्डे
श्री राम सागर पान्डे
पता आभी लेला

धाना - अद्वितीयता
पंजाब - सरायकेला

242500 से बैंक से ली गई ऋण एवं मूल
एवं सुद - 124069.00

कोर्ट फी - 4920.00

कुल - 128989.00

की प्रतुति हेतु अध्यायना किया है। देनदार
को लोक मांग अधिनियम की धारा-7 के
अंतर्गत सूचित करें एवं पंजी- X में दर्ज करें ।

अभिलेख दिनांक-20.11.2001 को
प्रस्तुत करें ।

[Signature]
निलाम पत्र पदाधिकारी,
सरायकेला ।

1/10/13

आमिठ उपस्थापित / आमिलेख आवलंकन के पश्चात
मालम हमा भी काफी दिनों से कम्प्लैट / आमिलेख पाल
करने के लिए पुनः ~~कास ठेका~~ नेगोसि निर्गत करें,
आमिठ प्लानक: 29/10/13 के तत्सुत करें।

लेखापित

१

नी/० पत्र पढा
अमल केमा-

१
नी/० पत्र पढा
अमल केमा